न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी श्री प्रेमाराम परमार, आर.ए.एस.

अपील संख्या 149/2017

1. अशोक गोदारा पुत्र प्रकाश चन्द्र उर्फ ओमप्रकाश
2. श्रीमति सावित्री देवी पत्नी प्रकाश चन्द्र उर्फ ओमप्रकाश

जाति जाट निवासीगण चक 1 एच बड़ा तहसील व जिला श्रीगंगानगर

——अपीलार्थीगण

बनाम

1. राजेन्द्रकौर पत्नी जगजीतसिंह
2. रूपल पुत्री जगजीतसिंह
3. पुनीत पुत्री जगजीतसिंह
4. हरकरणसिंह पुत्र जगजीतसिंह

जाति खत्री निवासी जेट एयरवेज लेबर ब्यूरो 1/49 राजधानी अपार्टमेंट के सामने चण्डीगढ़।

5. पुष्पादेवी पत्नी मूलचन्द जाति जाट निवासी पुरानी आबादी श्रीगंगानगर।
6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार श्रीगंगानगर । ——रेस्पोडेन्ट्स

अपील अर्न्तगत धारा 223 रा.का.अ. 1955

विरूद्ध आदेश सहायक कलक्टर(फास्ट ट्रेक) श्रीगंगानगर दिनांक 22.12.2017

उपस्थितिः–

श्री गुरविन्द्र सिंह अभिभाषक अपीलार्थीगण

श्री रामेश्वर सुथार अभिभाषक रेस्पों.संख्या 1 से 4

श्री पवन कुमार शाक्य अभिभाषक रेस्पो संख्या 5

श्री इकबालसिह सिद्धु, राजकीय अधिवक्ता

निर्णय **दिनांक :– 30.04.2018**

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि वादीगण/अपीलार्थीगण ने एक वाद उपखण्ड अधिकारी श्रीगंगानगर के समक्ष राज.काश्त.अधि. की धारा 88, 92ए व 188 का पेश कर कथन किया कि चक 1 एच बडा के खाता सं. नया 34

30/4/18

पुराना 30 के 3.162है0 भूमि पर प्रतिकूल कब्जा के आधार पर वादीगण को खातेदार घोषित किया जावे एवं प्रतिवादीगण के विरूद्ध इस आशय की स्थायी निषेधाज्ञा जारी की जावे कि वह वादी के कब्जा काश्त में हस्तक्षेप न करें।

प्रतिवादी सं. 1 से 4 ने जबाब दावा मय कांउटर क्लेम पेश कर वाद वादी खारिज करने का निवेदन किया एवं कब्जा प्रतिवादीगण को दिलाने का निवेदन किया। कांउटर क्लेम का जबाब वादीगण ने पेश कर कांउटर क्लेम खारिज करने का निवेदन किया।

दावा एवं जबाब दावा के आधार पर अनुतोष सहित तीन वाद बिन्दु कायम किये गये।

सुनवाई करने के पश्चात अधी. न्यायालय ने दिनांक 22.12.2017 को वादी का वाद खारिज कर प्रतिवादीगण का कांउटर क्लेम स्वीकार कर लिया। उक्त आदेश के विरूद्ध अपीलार्थीगण ने यह अपील पेश की है।

उभयपक्ष की बहस सुनी गई तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया।

अधी. न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया। अधी. न्यायालय ने जो दावा एवं जबाब दावा के आधार पर मूल रूप से विवाद के मुख्य बिन्दु से विचलित है, अपीलांट बहैसियत वादी इन कथनों पर चलकर दावा पेश किया है कि वादग्रस्त आराजी पर उनका प्रतिकूल कब्जा है एवं प्रतिकूल कब्जा आधारित खातेदारी की घोषणा का अनुतोष चाहा है। अधी. न्यायालय ने यह तो विवेचन किया है कि काश्तकारी अधिनियम में प्रतिकूल कब्जा के आधार पर खातेदारी दिये जाने का प्रावधान नहीं होने से दावा खारिज किया है। परन्तु तथ्य परख तनकी ही कायम नहीं की कि आया वादग्रस्त आराजी पर अपीलांट/वादी का प्रतिकूल कब्जा साबित है अथवा नहीं तदनुसार अधी. न्यायालय द्वारा वाद के मूल बिन्दु को touch ही नहीं किया गया। अतः सीपीसी की धारा 107(सी) की शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह न्यायालय यह तनकी कायम करता है कि : आया वादी का प्रतिकूल

30/4/18

कब्जा साक्ष्य आधारित प्रमाणित है या नहीं, का विनिश्चय मौखिक साक्ष्य एवं दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर निर्णय का मोहताज होने से अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश दिनांक 22.12.2017 निरस्त किया जाकर प्रकरण इस निर्देश के साथ रिमाण्ड किया जाता है कि इस न्यायालय द्वारा कायम तनकी पर संग्रहित साक्ष्य अनुसार विवेचन कर पत्रावली में यह तनकी का निर्णय विनिश्चय कर एक माह के अन्दर वापिस इस न्यायालय में पेश करें।

निर्णय आज दिनांक 30.04.2018 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

30/4/18

(प्रेमाराम परमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगगांनगर